



2026:AHC:61401

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2144/2026

संपन्न शर्मा और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आकिब इस्तेयाक, सैय्यद इकबाल अहमद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री सैय्यद इकबाल अहमद, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से, श्री उमा शंकर मिश्रा, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 1518/2004, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी आई.पी.सी., थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद के अंतर्गत, अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की खंडपीठ द्वारा आवेदकगण के पक्ष में वाद की कार्यवाही स्थगित की गई थी और आरोप-पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पुनः कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, जो अभियोजन पक्ष के अभाव में खारिज हो गई। आवेदकगण को खारिजी आदेश की कोई जानकारी नहीं थी और वर्ष 2022 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की गई तथा आवेदकगण को समन किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 18.04.2021 को एन.बी.डब्ल्यू. जारी किए गए हैं। घटना वर्ष 2000 की है तथा एफ.आई.आर. वर्ष 2004 में दर्ज की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित रहेंगे। यह कथन किया गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदकगण विचारण में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

5. घटना वर्ष 2000 में घटित बताई गई है, तथापि प्राथमिकी वर्ष 2004 में दर्ज की गई। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था और आरोप-पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, जो अभियोजन पक्ष के अभाव में खारिज हो गई। अब वर्ष 2025 में आवेदकगण के विरुद्ध एन.बी.डब्ल्यू. जारी किए गए हैं।

6. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भाग जाने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकगण की भूमिका और वाद की सभी सहवर्ती तथ्यों एवं परिस्थितियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

9. आवेदकगण – सम्पन्न शर्मा और मोहम्मद याकूब – उपर्युक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो-दो प्रतिभू उसी राशि में प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाएंगे :-

(i) आवेदकगण साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा वे संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने को छोड़कर, निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदकगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

वीरेंद्र